



2026:AHC: 174780

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5019 वर्ष 2026

धीरेंद्र कुमार शर्मा

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : रामेश्वर प्रसाद मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री पंकज कुमार को सुना गया।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण उस अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख प्रार्थना खंड में किया गया है। पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष नीचे दिया गया है:-

"अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करे और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बदायूं द्वारा द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत आपराधिक वाद संख्या 669/2024 (श्रीमती मिथिलेश और अन्य बनाम धीरेंद्र कुमार शर्मा) में पारित आक्षेपित आदेश और निर्णय दिनांक 25-05-2026 को रद्द करे, अन्यथा पुनरीक्षणवादी को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह आगे प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बदायूं द्वारा पारित द.प्र.सं. की धारा 125 के अंतर्गत आपराधिक मामला संख्या 669/2024 (श्रीमती मिथिलेश और अन्य बनाम धीरेंद्र कुमार शर्मा) के प्रभाव पर रोक लगाए/या कोई अन्य और आगे का आदेश पारित करे, जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझे।"

3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 25.05.2026 के द्वारा, पत्नी को 4,000/- रुपये और अवयस्क बच्चों में से प्रत्येक को 1,000/- रुपये का भरण-पोषण प्रदान किया। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दोनों बच्चे माता, अर्थात् विपक्षी संख्या 2 के साथ रह रहे हैं। पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि पुनरीक्षणवादी-पति 12वीं कक्षा पास है और मजदूरी के साथ-साथ कृषि कार्य भी करता है, इसलिए, पति की आय का स्रोत पत्नी और बच्चों को प्रदान किए गए भरण-पोषण की राशि के अनुरूप नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. पुनरीक्षण का कड़ा विरोध करते हैं और तर्क देते हैं कि संबंधित परिवार न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) को केवल 4000/- रुपये और बच्चों को प्रत्येक को 1000/- रुपये की मामूली राशि उनके भरण-पोषण के लिए प्रदान किया है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश दिनांक 25.05.2026 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पूरी तरह से विश्लेषण और सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात पारित किया गया है और यह एक सकारण और स्पष्ट आदेश है, इसलिए, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. इस न्यायालय ने संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया है और यह पाता है कि पत्नी के पास केवल एम.ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स) की योग्यता होने से यह स्थापित नहीं होता है कि वह अपना और दो अवयस्क बच्चों का भरण-पोषण करने में सक्षम है। यह न्यायालय आगे पाता है कि अवयस्क बच्चों के लिए 1,000/- रुपये बच्चों के पालन-पोषण, अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य दायित्वों के साथ-साथ भोजन और आवास के लिए भी पर्याप्त नहीं है।

6. वाद के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, मैं पाता हूं कि इस पुनरीक्षण को दाखिल करना विधि की प्रक्रिया के शुद्ध दुरुपयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है और इस पुनरीक्षण में कोई

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गुण-दोष नहीं है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसे केवल पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण राशि के भुगतान में विलंब करने के लिए दाखिल किया गया है।

7. तदनुसार, यह पुनरीक्षण खारिज किया जाता है।

8. संबंधित विचारण न्यायालय पुनरीक्षणवादी को मासिक भरण-पोषण की राशि के साथ-साथ बकाये को विपक्षी संख्या 2, पत्नी के सत्यापित बैंक खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश देगा।

9. ऊपर निर्देशित अनुसार पुनरीक्षणवादी द्वारा राशि जमा न करने की स्थिति में, संबंधित परिवार न्यायालय वसूली वारंट (रिकवरी वारंट) जारी करके अपने भरण-पोषण आदेश का निष्पादन करेगा। तत्पश्चात, पति की संपत्ति कुर्क की जाएगी और, उसकी नीलामी पर, बिक्री से प्राप्त राशि का भुगतान पत्नी-विपक्षी संख्या 2 को भरण-पोषण के बकाये के साथ-साथ नियमित मासिक भरण-पोषण के लिए किया जाएगा। यदि बिक्री से प्राप्त राशि अपर्याप्त पाई जाती है, तो पुनरीक्षणवादी को विधि के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार 30 दिनों की अवधि के लिए सिविल कारागार भेजा जाएगा।

10. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को यह आदेश संबंधित पीठासीन अधिकारी को संप्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

19 अगस्त, 2026

के. तिवारी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”